न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मनोज कुमार मीना आर.ए.एस.

उनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 66 / 2022

दर्शन लाल पुत्र श्री मूल चंद जाति अरोड़ा निवासी 10 जी छोटी तह0 व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद पुरानी आबादी, टावर के पास, वार्ड न.9, श्री गंगानगर राज।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

–:: उपस्थिति अभिभाषक ::–

1.	श्री राजेश गुम्बर	– – प्रार्थी
2.	पैरोकार राज	– – अप्रार्थी 1

– :: निर्णय ::–

दिनांक :–09.09.2022

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 10 जी छोटी तहसील श्री गंगानगर के खाता सं0.49 / 48 मु0न.25, 26 के मुश्तरका खाता की कुल 9.351 हे0 में से 1052 / 9351 हे0 नहरी खातेदारी दर्ज कागजात पटवार माल रिकार्ड है और जमाबंदी की नकल शामिल प्रार्थना–पत्र है। प्रार्थी का सही नाम दर्शन लाल है जो कि प्रार्थी के नाम से आंधार कार्ड सं. 817163348435 जो फोटोयुक्त भारत सरकार द्वारा बना हुआ है और उक्त आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम दर्शन लाल पुत्र मूल चन्द दर्ज है और उक्तआधार कार्ड भारत सरकार द्वारा समस्त दस्तावेज लेकर उनके आधार पर बनाया गया है। इसके अलावा प्रार्थी के नाम से पैन कार्ड सं. AFCPL2269M फोटोयुक्त भारत सरकार द्वारा बना हुआ है और उक्त पैन कार्ड में प्रार्थी का नाम दर्शन लाल पुत्र मूल चन्द दर्ज है और उक्त पैन कार्ड भारत सरकार द्वारा समस्त दस्तावेज लेकर उनके आधार पर बनाया गया है पैन कार्ड की प्रति सलंग्न है जिनमें प्रार्थी का नाम दर्शन लाल पुत्र श्री मूल चन्द अंकित है तथा इसके अलावा प्रार्थी के नाम से परिवार राशन कार्ड बारकोड संख्या– 10850110155 फोटोयुक्त राज्य सरकार द्वारा जारी किया है और उक्त परिवार राशन कार्ड सरकार द्वारा समस्त दस्तावेज लेकर दस्तावेज के आधार पर जारी किया गया है जिसमें भी प्रार्थी का नाम दर्शन लाल पुत्र मूल चंद अंकित है। 3–यह कि जमाबंदी की नकल वर्ष 2073–76 प्राप्त करने पर यह पाया कि टंकण की गलती के कारण दर्शन लाल के स्थान पर दरसीलाल दर्ज हो गया है जो कि स्पष्ट तौर पर कलेरिकल मिस्टेक अर्थात कम्प्यूटर टाईपिंग मिस्टेक के कारण ही हुआ है जिसको दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है। इस संबंध में अप्रार्थी से भी निवेदन किया मगर उनके द्वारा यह कहा गया कि इस प्रकार की दुरूस्ती उनके अधिकार क्षेत्र में नही है बल्कि श्रीमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 15:31:38 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी (राजस्व)

न्यायालय से आदेश लाने पर ही रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती की जा सकेगी, अतः यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी के नाम की गलती के कारण प्रार्थी को सुधार कार्य करवाने में बाधा पैदा हो रही है क्योकि अन्य रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दर्शन लाल दर्ज है जबकि जमाबंदी में दरसीलाल दर्ज होने से सुधार कार्य करवाने में बाधार पैदा हो रही है अतः जहां जहां भी जिस रिकार्ड में जमाबंदी में प्रार्थी का नाम दर्शनलाल के स्थान पर दरसीलाल दर्ज हो गया है कि दुरूस्ती का आदेश दिया जाना आवश्यक है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश करके अर्ज है कि चक 10 जी छोटी पटवार हल्का 27 जी जी तह. व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 49/48 में प्रार्थी का नाम दर्शन लाल के स्थान पर दरसीलाल दर्ज हुआ है तथा जिस जमाबंदी में इस प्रकार की टंकण की गलती हुई है में दुरूस्ती करने का आदेश देते हुए दरसीलाल के स्थान पर दर्शनलाल दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से जांच रिपोर्ट ली गई। पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई, प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार चक 10 जी के खाता संख्या 49 में दरसीलाल पुत्र मूलचंद हिस्सा 1052/9351 जाति अरोडा सा. देहखातेदार रहन 1052/9351 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा रामनगर दर्ज रिकार्ड है। शुद्धि की जानी उचित है।

—:: आदेश ::—

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2073—2076 ग्राम का नाम 10 जी छोटी, पटवार हल्का 27 जी जी, भू.अ.नि.क्षे. बुर्जवाली खाता संख्या 49/48, प्रार्थी दर्शनलाल के नाम से जारी पेन कार्ड की प्रति, प्रार्थी दर्शनलाल के नाम से जारी परिवार राशन कार्ड की प्रति, प्रार्थी दर्शनलाल के नाम से जारी आधार कार्ड की प्रति एवम् सरपंच ग्राम पंचायत 27 जी जी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, साक्ष्य शपथ पत्र में हरभगवान पुत्र श्रीर मूलचंद, नरेन्द्र कुमार पुत्र मूलचंद का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबंदी सम्वत् 2073—2076 ग्राम का नाम 10 जी छोटी, पटवार हल्का 27 जी जी, भू.अ.नि.क्षे. बुर्जवाली खाता संख्या 49/48 में प्रार्थी का नाम दरसीलाल के स्थान पर दर्शनलाल दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) अनुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 15:31:38 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली निर्णय शुमार होकर [illegible] बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9.9.2022

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर